

14/25

उपरोक्त भाग में सुनी/प्रति
वही अनुपस्थित। न्यायलय
समय में एक-एक कर-कर
आगे आवासी गयी। नती
प्रार्थी वही और ना ही
र-वर्ष प्रार्थी उपस्थित हुए।
मैत्र: पत्रावली सिविल प्रक्रिया
संहिता के भाग 3 नियम 3
(अदम चैरकी अदम राजरी) के
तहत खारिज की जाती है।
पत्रावली फुलम में सुमार है
नम्बर से कम की जाकर
हासिल दफ्तर है।

W.S.

